पं0सं0 / जी0एस0टी0 अनु0 / 2023–24 / 528 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,उ0प्र0।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ::::दिनांक 16 अक्टूबर, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0।

विषयः– ITC के Reversal के संबंध में।

कृपया अवगत हों कि CBIC के परिपत्र सं0– सं0–170 / 02 / 2022–GST दिनांक–06.07.2022 तथा इसके समतुल्य राज्य कर मुख्यालय स्तर से जारी परिपत्र सं0–2223029 दिनांक–14.07.2022 के द्वारा Ineligible ITC के Reversal के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। मुख्यालय पर इस संबंध में किये गये अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि राज्य में एक बड़ी संख्या में पंजीकृत करदाता हैं, जिनके GSTR-2A में ITC की राशि प्रदर्शित हो रही है, परन्तु ऐसे करदाताओं द्वारा उक्त ITC का दावा GSTR-3B में नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि उक्त ITC का लाभ पंजीकृत करदाता को अनुमन्य नहीं है। राज्य के राजस्व के दृष्टिगत इस प्रकार की ITC की घोषणा GSTR-3B में कराने के पश्चात इसका Reversal Form GSTR-3B की सुसंगत तालिका में कराया जाना आवश्यक है।

उ0प्र0 माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 16(4) में दिये गये प्रावधान निम्नवत हैं–

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the thirtieth day of November following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

ऐसे प्रकरण जहाँ पंजीकृत करदाता के GSTR-2A में ITC की राशि प्रदर्शित हो रही है तथा ऐसे करदाताओं द्वारा उक्त ITC का दावा GSTR-3B में नहीं किया गया है, की खण्डवार सूची प्रत्येक जोन में निकाल ली जाये तथा इस संबंध में करदाताओं को Advisory (प्रतिलिपि संलग्न) जारी करने के पश्चात आलोच्य सूची के समस्त करदाताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए उपरोक्त वर्णित ITC की राशि का दावा उनके द्वारा माह सितम्बर हेतु दाखिल किये जाने वाले GSTR-3B में कराते हुए इस ITC का Reversal FORM GSTR-3B की तालिका 4(B)(1) "As per rules 42 & 43 of CGST Rules" में Reversal संबंधी प्रविष्टि कराते हुए पूर्ण करायी जाये।

वित्तीय वर्ष–2022–23 हेतु यह कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक–31.10.2023 तक पूर्ण कर लिया जाये तथा इस संबंध में हुई प्रगति की दैनिक रिर्पोट दिनांक–17.10.2023 से प्रतिदिन सायं निम्नलिखित प्रारूप में इस अनुभाग की E-mail Id- upctres2@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाये–

ITC REVERSAL के संबंध में सूचना का प्रारूप

जोन का नाम–					
कुल प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	निस्तारित प्रकरणों में आच्छादित धनराशि (लाख रू0)	लम्बित प्रकरण	लम्बित प्रकरणों में आच्छादित धनराशि (लाख रू0)	अन्य विवरण

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

यह निर्देश आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहें है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(हरिलाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त(जी.एस.टी),
राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।